भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 196
उत्तर देने की तारीख: 18.11.2019

'निष्ठा' कार्यक्रम

196. डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री विनायक भाऊराव राऊतः
श्री हेमन्त पाटिलः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने समेकित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम या नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट (निष्ठा) आरंभ किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पहल के पीछे लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;
(ग) क्या सरकार ने प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के चुनाव और नामांकित शिक्षकों की संख्या हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कोई मानदंड निर्धारित किया है;
(घ) क्या सरकार ने स्कूल और उच्चतर शिक्षा स्तर पर शिक्षकों की गुणवत्ता की जांच हेतु कोई रूपरेखा विकसित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा स्कूलों में गुणवत्ता शिक्षा विकसित करने हेतु शिक्षकों के लिए समेकित प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ड.): जी हां| स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2019-20 में केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तहत निष्ठा - नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट नामक एक समेकित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है| इस प्रशिक्षण का उद्देश्य छात्रों में प्रोत्साहन और आलोचनात्मक सोच प्रोत्साहित करने और विकसित करने, विपरीत परिस्थितियों को संभालने और प्रथम स्तर के परामर्शदाता के रूप में कार्य करने हेतु

शिक्षकों को प्रोसाहित करना और सुसज्जित करना है। उन्हें अधिगम परिणामों, क्षमता आधारित अधिगम और परिक्षण, प्रशिक्षु-केंद्रित शिक्षाशास्त्र, स्कूल सुरक्षा और संरक्षा, वैयक्तिक-सामाजिक गुणों, समावेशी शिक्षा, कृत्रिम बौद्धिकता सहित शिक्षण-अधिगम में आईसीटी, योग सहित स्वास्थ्य और देखभाल, पुस्तकालय, इको-क्लब, यूथ क्लब, किचेन गार्डन, स्कूल नेतृत्व गुण, पर्यावरणीय सरोकार जागरूकता, प्री-स्कूल, प्री-व्यावसायिक शिक्षा और रुचिपूर्ण अधिगम पद्धति में स्कूल आधारित मूल्यांकन संबंधी विभिन्न पहलुओं पर उनके कौशल को उन्मुख और विकसित बनाया जाएगा।

इस एकीकृत कार्यक्रम में सभी सरकारी स्कूलों में प्रारंभिक स्तर पर सभी शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एससीईआरटी), जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डायट), के संकाय सदस्यों के साथ-साथ सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में ब्लाक संसाधन केंद्रों (बीआरसी) और क्लस्टर संसाधन केंद्रों (सीआरसी) के संसाधन व्यक्तियों को शामिल करते हुए लगभग 42 लाख प्रतिभागी कवर होंगे।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) को बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के की धारा 23(1) के तहत शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओं को निर्धारित करने के लिए शैक्षणिक प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। तदनुसार, एनसीटीई ने समय-समय पर दिनांक 25 अगस्त, 2010 की यथा संशोधित अधिसूचना के माध्यम से न्यूनतम अर्हता अधिसूचित की है।

इस व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम को शिक्षकों को सहयोग देने के लिए सुगम सुविधाएं, डिजिटल सामग्री की उपलब्धता और प्रौद्योगिकी सक्षम शिक्षण पद्धति सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत किया गया है। एनसीईआरटी (http://nishtha.gov.in) द्वारा एक मोबाइल एप्प और प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) विकसित की गई है। एलएमएस को संसाधन व्यक्तियों और शिक्षकों के पंजीकरण, संसाधनों के प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण अंतराल और प्रभाव विश्लेषण, प्रगति की ऑनलाइन निगरानी मेंटरिंग एवं मापन के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है।

****